No. 1/27/2011-P&PW (E)
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. & Pensions
Department of Pension & Pensioners' Welfare

3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi
Dated: 20th September, 2013

OFFICE MEMORANDUM

Sub: Submission of Form 14 by the spouse to the pension disbursing bank after the death of the pensioner – instructions reg.

The undersigned is directed to draw attention to the requirement of applying for family pension in Form 14 as given in rule 81 (2) (A) (ii) of the CCS (Pension) Rules, 1972.

2. This Department has been receiving representations from various quarters to do away with the condition of applying for family pension in Form 14 as it is causing inconvenience to widows, who find it difficult and embarrassing to present themselves before two Gazetted Officers/persons of repute for attestation of Form 14.

3. Before commencement of family pension, personal identification details of the spouse such as specimen signature, personal mark of identification and left hand thumb impression, proof of age/date of birth of spouse and an undertaking from him/her for recovery of excess payment are to be obtained by the bank. Form 14 serves as a standard processing sheet, which defines and delineates the exact requirement of information to be given to the pension disbursing Bank. It was apprehended that in the absence of this standard, the widows may be asked to submit any relevant or irrelevant information by the bank. This could also lead to delay in commencement of the family pension.

4. The matter has been examined and it has been agreed that in case the pensioner and spouse are holding a joint account, the possibility of claim for family pension from someone else does not arise. Therefore, in such cases, there is no requirement of Form 14. The spouse may inform the Bank of death of the pensioner and request the bank for commencement of family pension, through a simple letter. He/she may enclose a copy of death certificate of pensioner, PPO, proof of his/her own age/date of birth and an undertaking for recovery of excess payment. In other cases, i.e., where the pension is not being credited to the joint bank account of the pensioner and his/her spouse, Form 14 will be continued to be obtained by the banks. However, the condition of attestation of Form 14 has been done away with and witnessing by two persons has been considered as sufficient.

5. For all future cases, Head of Office will forward to the PAO, along with similar details for the pensioner, the specimen signature, personal mark of identification, left hand thumb impression, the proof of age/date of birth and an undertaking from the spouse regarding recovery of excess payment. After the death of the pensioner, the spouse of the deceased pensioner will be required to provide only death certificate to the paying bank, who will identify the spouse based on the

https://www.staffnews.in

information given in the PPO and its own "Know Your Customer" procedures. Where the pensioner and his/her spouse do not have a joint account, Form 14 will be required as in para 4 above.

6. This issues with the concurrence of Department of Expenditure, vide their ID No. 601/E.V/2013, dated 13.09.2013.

(D.K. Solanki)
Under Secretary to the Government of India
Ph: 24644632

All Ministries/Departments of the Govt. of India.

All Pensioners' Associations as per list maintained in this Department.

Copy to CPAO with the request to circulate the above instructions to all banks and suitably amend the Scheme Booklet.

https://www.staffnews.in

संख्या 1/27/2011–पी.एंड पी.डब्ल्यू (ई)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग

तीसरी तल, लोकनायक भवन,
खान मार्किट, नई दिल्ली,
दिनांकः 20 सितंबर, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषयः पेंशनभोगी की मृत्यु के बाद पति/पत्नी द्वारा पेंशन वितरक बैंक को फार्म 14 प्रस्तुत करना – तत्संबंधी निर्देश।

अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 81 (2) (ए) (ii) में यथा उल्लिखित फार्म 14 में कुटुंब पेंशन का आवेदन करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करने का निर्देश हुआ है।

2. इस विभाग को विभिन्न क्षेत्रों से फार्म 14 में कुटुंब पेंशन का आवेदन करने की आवश्यकता हटाए जाने के बारे में अभ्यावेदन मिलते रहे हैं, क्योंकि इससे विधवाओं को असुविधा होती है, जिन्हें फार्म 14 के सत्यापन के लिए दो राजपत्रित अधिकारियों/सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष पेश होने में कठिनाई और शर्म महसूस होती है।

3. कुटुंब पेंशन शुरू होने से पहले बैंक द्वारा पति/पत्नी के व्यक्तिगत ब्यौरे, जैसे कि पति/पत्नी का नमूना हस्ताक्षर, व्यक्तिगत पहचान चिन्ह् और बाएं अंगूठे की छाप, आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और उससे अतिशय भुगतान की वसूली का वचन–पत्र लिया जाना अपेक्षित है। फार्म 14 एक मानक प्रक्रिया पत्रक (शीट) का कार्य करता है, जो पेंशन वितरक बैंक को दी जाने वाली निश्चित सूचना को परिभाषित और चित्रित करता है। ऐसी आशंक व्यक्त की गई थी, कि इस मानक के अभाव में, बैंक द्वारा विधवाओं से प्रासंगिक या अप्रासंगिक सूचना प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। इससे कुटुंब पेंशन चालू होने में देरी भी हो सकती है।

4. इस मामले की जांच की गई है, और सहमति बनी है कि यदि पेंशनभोगी और उसकी पत्नी/पति का संयुक्त खाता है, तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कुटुंब पेंशन का दावा करने की संभावना नहीं है। इसलिए, ऐसे मामलों में फार्म 14 की कोई आवश्यकता नहीं है। पत्नी/पति बैंक को एक साधारण पत्र के द्वारा पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना दे सकते हैं और बैंक से कुटुंब पेंशन शुरू करने का अनुरोध कर सकते हैं। वह पेंशनभोगी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति, पी.पी.ओ., अपनी आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और अतिशय भुगतान की वसूली का वचन पत्र संलग्न कर सकते हैं। दूसरे मामलों में, अर्थात जहां पेंशन पेंशनभोगी एवं उसकी पत्नी/पति के संयुक्त खाते में नहीं जमा की जा रही है, बैंको द्वारा फार्म 14 लिया जाना जारी रहेगा हालांकि फार्म 14 के सत्यापन की शर्त को हटा दिया गया है, और दो व्यक्तियों की गवाही को ही पर्याप्त माना गया है।

5. आगे के सभी मामलों में कार्यालयाध्यक्ष, पी.ए.ओ. को पेंशभोगी के इन सभी ब्यौरों के साथ पति/पत्नी का नमूना हस्ताक्षर, व्यक्तिगत पहचान चिन्ह् और बाएं अंगूठे की छाप, आयु/जन्मतिथि का प्रमाण और उससे अतिशय भुगतान की वसूली संबंधी वचन पत्र अग्रेषित करेंगे। पेंशनभोगी की मृत्यु के पश्चात्, मृतक पेंशनभोगी के पति/पत्नी को अदाकर्ता बैंक के पास केवल मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो पी पी ओ में दी गई सूचना और अपने 'ग्राहक को जानिए' प्रक्रिया के आधार पर पति/पत्नी की पहचान करेगा। जहां पेंशनभोगी और उसकी पत्नी/पति का संयुक्त खाता नहीं है, वहां उपर्युक्त पैरा 4 के अनुरूप फार्म 14 आवश्यक होगा।

https://www.staffnews.in

6. इसे वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 13.09.2013 के अन्तरविभागीय संख्या 601/ई.वी./2013 के माध्यम से व्यक्त सहमति से जारी किया जाता है।

(डी.के.सोलंकी)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाषः 24644632

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग
2. विभाग में उपलब्ध सूची में शामिल सभी पेंशनभोगी संघ

प्रतिलिपिः सी.पी.ए.ओ – सभी बैंकों को उपर्युक्त निर्देशों को परिचालित करने और स्कीम बुकलेट में यथोचित संशोधन के अनुरोध के साथ।

https://www.staffnews.in